47/ए/49/17/2/2010-रा.भा. 1/2494126/2025



എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार **EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION** Ministry of Labour & Employment, Govt. of India [आई.ओ.एस./ISO 9001:2015 प्रमाणित/Certified]



സബ് റീജിയണൽ ഓഫീസ്, എറണാകുളം 5&6 നില,ബിഎസ്എൻഎൽ ഭവൻ,കളത്തിപ്പറമ്പ് റോഡ്, എറണാകുളം-16

उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम

5 वां एवं 6 ठा तल, बीएल भवन.एन.एसं., कलथीपरम्बु रोड, एरणाकुलम- 16 **SUB REGIONAL OFFICE, ERNAKULAM** 5th & 6th floor, BSNL Bhavan, Kalathiparambu Road, Ernakulam-16 द्वरभाष/Phone: 0484-2533541/42

ईमेल/Email: sro-ernakulam@esic.nic.in

सं-47/ए/49/17/2/2010-रा.भा.

दिनांक:- 24.04.2025

विषय- वर्ष 2025-2026 में राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा विभाग, राजभाषा हिंदी के विकास और प्रसार को बढ़ाने के लिए हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा संबंधी आदेशों का निष्ठा से अन्पालन किया जाना है। हम सब को सौंपे गए राजभाषा संबंधी संवैधानिक और सांविधिक दायित्वों के अन्रूप काम-काज हिंदी में ही किया जाना है । वर्ष 2025-2026 के लिए निर्धारित वार्षिक **कार्यक्रम** की एक प्रति इस पत्र के साथ सूचना एवं अन्पालन के लिए संलग्न किया गया है।

A copy of Annual Programme issued by the Ministry of Home Affairs for the promotion and progressive use of Official Language and the important directions regarding the use of Hindi for the year 2025-2026 is enclosed herewith for information and compliance.

> प्रशांत डी. संयुक्त निदेशक (प्रभारी)

संलग्नकः यथोपरि

सेवा में, सभी अधिकारी/अधीक्षक/शाखा प्रबंधक क.रा.बी.निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय एरणाकुलम ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2025-26

ANNUAL PROGRAMME FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI 2025-26

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

Annual Programme for 2025-26 for use of Hindi

<u>S.NO</u>	DETAILS OF WORK	<u>'A' REGION</u>	<u>' B'</u>	REGION	<u>'C' REGION</u>
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 100° 2. From A to B 100° 3. From A to C 70% 4. From Region A 1 to Offices / Individual in States / UTs of A & B region	2. From 3. From 00% 4. From als to Office	B to C 60% Region B 90% s Individuals d / UTs of	 From C to A 60% From C to B 60% From C to C 60% From Region C to 60% Offices / Individuals in States / UTs of A & B region
2. Letters received in Hindi to be 100% 100% 100% answered in Hindi					
3. Noti	ing in Hindi		80 %	55 %	35 %
4. Training Programme through Hindi Medium		n	75%	65 %	35 %
5. Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers .		80%	70%	45%	
6. Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Assistant)			70%	60 %	35 %
7. Hind	di Training nguage, Typing/ S		100%	100%	100%
	paration of Bilingung Material	ıal	100%	100%	100%

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	" <u>क" क्षेत्र</u>	<u>"ख" क्षेत्र</u>	" <u>ग" क्षेत्र</u>
1.	**	 क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% क राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 	 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र क राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 	2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80 %	55 %	35 %
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65 %	35 %
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आश्लिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक दवारा)	70%	60%	35 %
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9. Expenditure for the purchase Hindi books etc., including digital material i.e., Hindi etc., Hindi e	e-books, /D, at Hindi rnals	50%	50%		
10. Purchase of all electronic equipment including computations bilingual i.e. Hindi a English working facility.		100%	100%		
11. Website bilingual	100%	100%	100%		
12. Citizen Charter and display of interface information Board b	ilingual	100%	100%		
13. (i) Inspection by Ministries/ 30% (minimum) 30% (minimum) Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of Offices)					
(II) Inspections of sections at Headquarters.	30 % (minimu	um) 30 % (minimum)	30% (minimum)		
(III) Joint inspections by the office	ers	At least one inspect	ion in a year.		
Concerned & those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government. 14. Meetings regarding Official Language (A) Hindi Salahakar Samiti 02 meetings in a year					
(B) Town Official Language 02 meetings in a year (One meeting in every six months) Implementation Committee.					
(C) Official Language Implementation Committee.	o4 meemigs in a y	ear (One meeting in e	very quarter)		

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में	50%	50%	50%
	रे से डिजिटल सामग्री अर्थात्			
	हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार			
	पत्र, सीडी/डीवीडी , पैनड्राइव			
	तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद			
	पर व्यय की गई राशि सहित			
	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर			
	किया गया व्यय।			
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं	100%	100%	100%
	में काम करने की सुविधायुक्त			
	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की			
	खरीद।			
	11. वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
	12. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
	13 (i) मंत्रालयों/विभागों और	30 % (न्यूनतम)	30 % (न्यूनतम)	30 % (न्यूनतम)
	. कार्यालयों के अधिकारियों	(((((((((((((((((((((,)	, ,
	(उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा			
	विभाग के अधिकारियों			
	द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण			
	(कार्यालयों का प्रतिशत)			
	(ii) म्ख्यालय में स्थित अन्भागों	30 % (न्यूनतम)	30 % (ਜ੍ਧ੍ਰਜ਼ ਜਸ)	30 % (न्यूनतम)
	का निरीक्षण		`	
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार		())	
	के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का		वर्ष में कम से कम एक निर्	ोक्षण
	अधान कायालया/उपक्रमा का संबंधित अधिकारियों तथा			
	राजभाषा विभाग के अधिकारियों			
	द्वारा संयुक्त निरीक्षण			
	14.राजभाषा संबंधी बैठकें		वर्ष में 2 बैठकें	
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही	एक
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन		बैठक),	
	समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही बैठक)	୯ ቀ
	(ग) राजनामा यमपान्पपन सानात		ਕ ਾ)	

- 15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature. 100% 100% 100%
- 16. Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ 45% 35% 25% Undertakings where entire work to be done in Hindi.

(Minimum Sections)

45% in 'A' Region, 30% in 'B' Region and 20% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/
Corporations where there is no concept of sections.

15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया	100%	100%	100%
	साहित्य का हिंदी अनुवाद			
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/	45%	35 %	25 %
	उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां			
	संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।			

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, "ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए।

PROGRAMME FOR FOREIGN BASED INDIAN OFFICES

(A) Correspondence in Hindi 50% (Including offices of Central Government located in India/abroad) (B) File noting in Hindi 50% (C) Number of TOLIC meetings in a year One meeting in a year. (A TOLIC is to be constituted if 7 or more offices of Central Govt. are located in a town) (D) (Number of DOLIC (Departmental Official One meeting in each quarter. Language Implementation Committee) meetings in a year. A DOLIC is to be constituted under the chairmanship of Head of Office.) Availability of electronic equipment including 100% (E) computers with bilingual working facility Employees /Stenographers doing their typing Minimum one in each office (F) work in Hindi (G) Arrangement of Interpreters Arrangements of interpreters be made from local language to Hindi & vice-versa in every Mission/Embassy.

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क) हिंदी में पत्राचार (भारत/विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ) 50%

(ख) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण

50%

(ग) वर्ष के दौरान नराकास की बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में केंद्र सरकार के 7 या इससे अधिक कार्यालय होने की स्थिति में किया जाए) प्रत्येक वर्ष में एक बैठक

(घ) वर्ष के दौरान विराकास (विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठकों की संख्या (विराकास का गठन कार्यालय-अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाए) प्रत्येक तिमाही में एक बैठक

(इ.) कंप्यूटरों सिहत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी उपलब्धता 100%

(च) हिंदी टंकण कार्य करने वाले कर्मचारी/आशुलिपिक प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक

(छ) दुभाषियों की व्यवस्था

प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषियों की व्यवस्था की जाए ।